भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *09

दिनांक 29 जनवरी, 2026 को उत्तरार्थ

.....

राजकोट में बांधों में से गाद निकालना और उनकी क्षमता में वृद्धि करना

***09. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात राज्य सरकार के समन्वय में सौराष्ट्र क्षेत्र की भंडारण क्षमता, जल सुरक्षा और औद्योगिक स्थिरता में वृद्धि करने के लिए राजकोट जिले को पानी की आपूर्ति करने वाले आजी बांध और अन्य बांधों से व्यवस्थित रूप से गाद निकालने का कार्य शुरू किया है या शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गाद निकालने के लिए किए गए कार्यों, स्वीकृत निधियों, निर्धारित समय-सीमा और प्राप्त या लक्षित भंडारण क्षमता में वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार घरेलू, कृषि और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए वैज्ञानिक मूल्यांकन, भविष्य के लिए योजना, तलछट प्रबंधन और दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए राज्य प्राधिकारियों के साथ इन बांधों का संयुक्त निरीक्षण करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री सी आर पाटील)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"राजकोट में बांधों में से गाद निकालना और उनकी क्षमता में वृद्धि करना" के संबंध में दिनांक 29.01.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न सं. *04 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

बांधों के संचालन, रखरखाव, सुरक्षा लेखापरीक्षा और महत्वपूर्ण पहलु जैसे गाद निकालने एवं तलछट प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से बांध के मालिकों की होती है, जिनमें मुख्यतः राज्य सरकारें और केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं।

गुजरात राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, राजकोट जिले को सात बांधों से जल आपूर्ति की जाती है, नामतः: आजी-1, भादर-1, भादर-2, फोफल-1, मोज, वेणु-2 और वेरी।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जल भंडारण क्षमता बढ़ाने और सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन बांधों में से तीन बांधों, नामत: वेरी, मोज और वेणु-2 में आंशिक रूप से गाद निकालने का कार्य किया गया है।

इन बांधों में किए गए आंशिक गाद निकालने के कार्यों का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

बांध का नाम	**अनुमोदित निधि (रूपए लाख में)**	**उत्खन्न (क्यूबिक मीटर में)**	**समयावधि**
वेरी	4.85	2853.3	मई 2025
मोज	5.15	2700	2021-2023
वेणु-2	5.50	2750	2021-2023

इसके अलावा गुजरात राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में इन बांधों का नियमित आवधिक निरीक्षण किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, गाद प्रबंधन से संबंधित मामलों में राज्य सरकार की सहायता के लिए, केंद्र सरकार द्वारा क्रमशः वर्ष 2019 और 2020 में "जलाशय में गाद जमाव का आकलन और प्रबंधन" और "मौजूदा बांध परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभावों के आकलन और प्रबंधन के लिए प्रचालन प्रक्रियाएं" पर दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए थे। उपरोक्त के अलावा, केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2022 में गाद प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय ढांचा प्रकाशित किया ताकि राज्यों और बांध के मालिकों को गाद प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को हल करने में सहायता मिल सके।
